हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 6 | सांचौर, शुक्रवार, 15 मार्च 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

सहकारी समितियों के विस्तार में मिलेगी मदद ; 2027 से पहले हर पंचायत में एक पैक्स होगा

एक क्लिक में निकल जाएगी सहकारिता की पूरी कुंडली

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। हजारों लोगों के दो वर्षों के कठिन एवं लगातार परिश्रम के बाद सहकारिता क्षेत्र की गतिविधियों की सारी जानकारियों के लिए डिजिटल आधारित डाटाबेस तैयार किया गया है। इसके माध्यम से सहाकारिता क्षेत्र की सारी सूचनाएं एवं गतिविधियां एक क्लिक पर ही आसानी से मिल जाएंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और च्राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस-2023 एक रिपोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह साहसिक फैसले लेते हैं और उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 75 वर्ष बाद इतना बड़ा काम हुआ है।

सहकारिता क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण से जुड़े कई नवाचार किए

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण से जुड़े कई नवाचार किए हैं। डाटाबेस देश की सहकारिता गतिविधियों की कुंडली है। आंकड़ों की प्रामाणिकता और उन्हें अपडेट करने के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था की गई है। नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं एवं स्टेकहोल्डर के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा। अमित शाह ने डाटाबेस को नींव बताया, जिसपर अगले सवा सौ साल तक चलने वाली एक मजबूत सहकारिता की इमारत खड़ी होगी।

- बोले - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साहसिक फैसले लेते हैं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाते है
- 2027 से पहले हर पंचायत में एक पैक्स होगा, किसानों को होगी सुविधा

नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के लोकपर्ण पर संबोधित करते केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

डाटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ

अमित शाह ने कहा कि डाटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ है। पहले चरण में तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी और मत्सियकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग पूरी की गई। दूसरे चरण में विभिन्न राष्ट्रीय संघों, राज्यों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी एवं शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, सहकारी चीनी मिलों, जिला यूनियनों और बहुराज्य सहकारी समितियों के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। तीसरे चरण में सभी आठ लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डाटा की मैपिंग की गई। इसके बाद पता चला कि देश में आठ लाख से अधिक पंजीकृत समितियों से 30 करोड़ लोग जुड़े हैं।

यह डाटाबेस सहकारिता के विकास, विस्तार और आपूर्ति को कंपास की तरह दिशा दिखाएगा। जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियां कम या कमजोर हैं, उसकी पहचान कर विस्तार में मदद करेगा। पोर्टल के जरिये छोटी सहकारी संस्थाएं अपने विस्तार के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगी। इसे अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर बनाया गया है। इसमें गांवों को शहरों से, मंडियों को ग्लोबल मार्केट से और राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से जोड़ने की संभावना मौजूद है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए अलग मंत्रालय बनाया। सभी पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो गया है। तय किया गया है कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। इसके बाद की समस्याओं के समाधान के लिए डाटाबेस का विचार आया।

रोडवेज में अब वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलेगी 50% की छूट

जयपुर,। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि रोडवेज की साधारण एवं द्रुतगामी श्रेणी की बसों में 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को अब 50 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी। रोडवेज् ने इसके लिए मंगलवार को आदेश जारी किये है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 में 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिये दी जा रही 30 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत की घोषणा की गई थी,जिसकी अनुपालना में यह आदेश जारी किए गये हैं।

1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति

जयपुर, । उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 70 हजार सरकारी नौकरी देने की बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के क्रम में चिकित्सा अधिकारियों के 1220 रिक्त पदों पर भर्ती करने के प्रस्ताव को वि ाीय स्वीकृति देकर युवाओं को तोहफा दिया है। उक्त 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएगी।

एक अप्रेल से प्रभावी होगी ई-ड्राईविंग लाईसेन्स व ई-पंजीयन प्रमाण पत्र व्यवस्था

जयपुर। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में 01 अप्रेल, से ई-ड्राईविंग लाईसेन्स एवं ई-पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके अतंर्गत आवेदक को ड्राईविंग लाईसेन्स और वाहन पंजीयन से संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे। आवेदकों को 200/- रू. स्मार्ट कार्ड शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इस व्यवस्था को लागू किये जाने के लिए परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा द्वारा ऑटोमोबाईल डीलर्स के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिये गये।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

726 कस्टम हायरिंग केंद्र निरस्त

नए सिरे से प्रदेश की 293 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्वीकृत हुए कस्टम हायरिंग केंद्र

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में आगामी दो वर्षों में राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र और स्थापित करने है। जिससे कृषकों को महंगे कृषि यंत्र ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड, ड्रिल आदि सहकारी समितियां एवं किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके क्रम में जिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर ने अलग-अलग आदेश जारी कर प्रदेश की 293 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। जिसमें, सर्वाधिक भीलवाड़ा में 34, जयपुर में 31, उदयपुर में 28 तो भरतपुर, बाड़मेर, गंगानगर में 17, चित्तौड़गढ में 16, वही, दौसा में 13, झुझुनूं में 12, बांरा में 11, राजसमंद में 10, जोधपुर व अलवर में 9, कोटा में 8, इसी प्रकार सिरोही, झालावाड़ में 7, प्रतापगढ़ में 6, सीकर, टोंक, पाली में 5, जैसलमेर, करौली बीकानेर में 4, नागौर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ में 3, डूंगरपुर, जालोर में 2, अजमेर में 1 सहकारी समिति में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

726 कस्टम हायरिंग केंद्र हुए निरस्त

प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की क्रियान्विति के क्रम गत साल अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में सहकारिता विभाग ने 726 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगीड़ ने आदेश जारी किया है। गौरतलब हैं कि सहकारिता विभाग के 6 अक्टूबर 2023 के आदेश की अनुपालना में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर ने 9 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी कर 726 सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी ।

ऋणी सदस्य बकाया अल्पकालीन ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का ले सकेंगे लाभ

खरीफ सीजन 2023 में लिये गये फसली ऋण की अंतिम देय तिथि 31 मार्च तक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन-2023 में लिये गये फसली ऋण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 निर्धारित की गई है। ऋणी सदस्य देय तिथि से पूर्व अपना बकाया अल्पकालीन ऋण जमा करवाकर ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध निदेशक ओमपाल सिंह भाटी ने बताया कि ऋण चुकाने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च, 2024 तथा अथवा इससे पूर्व बकाया ऋणों का चुकारा करने पर ही किसानों को राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं आगामी खरीफ 2024 में पुन: ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने फसली ऋण के सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि यदि ऋणी कृषक सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी। ऋण अवधिपार हो जाने पर कृषक से ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूल किया जायेगा तथा वे कृषक पुन: प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखेंगे। उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा 31 मार्च, 2024 से पूर्व अपना ऋण यथाशीघ्र जमा करावें।

अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन-2023 में लिये गये फसली ऋण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 निर्धारित

एक बार जगी थी केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालक मण्डल के चुनाव की आस, अब मामला ठंडे बस्ते में

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव के बाद केन्द्रीय सहकारी बैंक में चुनाव की आस जगी थी । लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न होने के पश्चात दो साल से ज्यादा का समय बीतने के बावजुद आज दिन तक केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव की सुगबुगाहट तक सुनाई नहीं दे रही है। आलम यह हैं कि जोधपुर खंड की बाड़मेर और जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में पिछले दस साल से संचालक बोर्ड के चुनाव नहीं हो पाए हैं, वही, सरकार ने बाड़मेर और जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में वर्ष 2014 के बाद से जिला कलेक्टर को प्रशासक बनाया हुआ है। गौरतलब हैं कि राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने केवल रस्म अदायगी के तौर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वार्ड गठन की सूचना मांगी थी । जिसके बाद से आज दिन तक चुनाव की प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई है।

दो हजार के 97.6% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

मुंबई, आरबीआइ ने बताया कि 2,000 रुपये के लगभग 97.62 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। इस तरह अब केवल 8,470 करोड़ रुपये मूल्य के नोट जनता के पास रह गए हैं। पिछले साल 19 मई को आरबीआइ ने 2,000 रुपये मूल्य के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का एलान किया था। 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआइ ने कहा कि 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। लोग देशभर के 19 आरबीआइ कार्यालय में दो हजार रुपये के नोट जमा या बदल सकते हैं। इतना ही नहीं आम लोग इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2,000 रुपये के नोट आरबीआइ कार्यालय में जमा भी करा सकते हैं।

राज्यों के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये जारी

नई दिल्ली ; केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण के तहत राज्यों के लिए 1,42, 122 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त किस्त जारी करने का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों के हाथों को मजबूत करना है। यह 12 फरवरी की 72,961 करोड़ की किस्त के अतिरिक्त है।

डाटा की कमी से नहीं हो पा रहा किसानों की आय का निर्धारण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

- नीति आयोग के सदस्य ने कहा, कानून से तय नहीं हो सकता कृषि उपज का मूल्य
- 2018-19 के बाद गैर-कृषि स्रोतों से किसानों को होने वाली आय का कोई डाटा नहीं

नई दिल्ली, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि किसानों और उनकी अन्य स्रोतों से होने वाली आय का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने से यह निर्धारित करना मुश्किल हो रहा है कि उनकी आय वास्तव में दोगुनी हुई है या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि किसान गैर कृषि स्रोतों से अधिक कमाई कर रहे हैं। रमेश चंद ने आगे कहा कि कृषि उपज की कीमतें किसी कानून द्वारा तय नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव होंगे, जो न तो कृषि क्षेत्र के लिए और न ही किसानों के हित में होंगे। प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री ने कहा, च्सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें कितनी सफलता मिली, इसके मूल्यांकन की आवश्यकता है, लेकिन आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 तककिसानों की आय दोगुनी करने का अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर मंत्रालयी समिति बनाई गई। समिति ने सितंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। पैनल की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सरकार ने प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास वह डाटा होगा तभी यह स्पष्ट होगा कि क्या हमने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है या नहीं।

सिरोही सीसीबी एमडी से लेकर उप रजिस्ट्रार तक का हुआ पदस्थापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक से लेकर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही के रिक्त पद पर सहकारिता सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन हो गया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पाली अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक एवं राजस्थान सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी फतेहसिंह को प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक सिरोही और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक सिरोही के सचिव, वही, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर एवं सहकारिता सेवा के सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी सुनिल वीरभान को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही और विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां सिरोही का आगामी आदेशों तक अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया गया है।

ऊर्जा मंत्री ने किया सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक शाखा भवन का लोकार्पण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। दी कोटा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की शाखा दीगोद के नए भवन का रविवार को ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री ने इस अवसर पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीण एवं आमजन को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कोटा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की शाखा दीगोद के लोकार्पण अवसर पर पंचायत समिति प्रधान सुल्तानपुर श्रीमती कृष्णा शर्मा,बैंक के प्रबंध निदेशक बलविंदर सिंह गिल, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राम प्रसाद शर्मा , बैंक के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी राजेश मीणा, बड़ी संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्य, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे।

सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के 3348 पद रिक्त ; पैक्स सेवानियम 2022 के अनुसार सहायक व्यवस्थापको के पद डायिंग कैडर

सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नहीं हैं विचाराधीन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत यानि विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सहकारिता विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। दरअसल, विभाग ने 15वीं विधानसभा सदन में तत्कालीन ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा के तारांकित प्रश्न का हाल ही में लिखित जवाब दिया है। जिसके मुताबिक, प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यक्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के 3348 पद रिक्त है, वही प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां और वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम-2022 के अनुसार सहायक व्यवस्थापको के पद डायिंग कैडर होने के साथ-साथ वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

स्क्रीनिंग से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं हैं विचाराधीन

मूल सवाल के प्रति उत्तर में विभाग ने कहा हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यक्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकीय सेवा नियमों के तहत व्यवस्थापक पद पर स्क्रीनिंग के लिए सहकारिता विभाग द्वारा 28 जुलाई 2022 को आदेश जारी किया गया था, जिसमें केवल व्यवस्थापकों के पद की स्क्रीनिंग की जानी थी । वही, विभागीय आदेश के तहत जोन वाईज स्क्रीनिंग प्रक्रिया संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम जोधपुर जोन की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को 1 अगस्त 2022 से 5 अगस्त 2022 के मध्य संपन्न करने के निर्देश दिए गए थे । इसके अलावा, सवाल के जवाब में विभाग ने लिखित में कहा हैं कि जिन कर्मचारियों द्वारा अल्पसमय होने एवं 2021-22 की ऑडिट नहीं होने के कारण स्क्रीनिंग के लिए आवेदन नहीं किया गया, परन्तु स्क्रीनिंग के लिए योग्य है, की भी स्क्रीनिंग किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

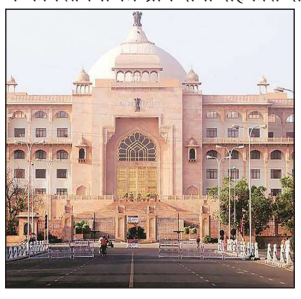

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु न्यूनतम कोरम 3 सदस्यो का

जोधपुर जिले की स्क्रीनिंग के मामले में विभाग ने उत्तर दिया हैं कि जोधपुर जिले में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 4 अगस्त 2022 को आयोजित की गई। व्यवस्थापक सेवा नियम 2008 खण्ड तृतीय नियम 4.2.2 के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु न्यूनतम कोरम 3 सदस्यो का है, जिसमें प्रबन्ध निदेशक सीसीबी एवं समिति अध्यक्ष अनिवार्य बताते हुए विभाग ने जवाब दिया है कि जोधपुर जिले में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग से संबंधित कार्यवाही वर्तमान में लम्बित नहीं है।

अब गोदाम में रखे उत्पादों पर लोन ले सकेंगे किसान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, किसान अब पंजीकृत गोदामों में रखे अपने उत्पादों पर लोन ले सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसे लोन की सुविधा देने वाला डिजिटल प्लेटफार्म लांच किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी।

डिजिटल प्लेटफार्म ई-किसान उपज निधि लांच करते समय केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथारिटी (डब्ल्यूडीआरए) के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पादों पर किसान को बैंकों से कर्ज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे सात प्रतिशत की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डब्ल्यूडीआरए की ओर से गोदाम मालिकों से ली जाने वाली सुरक्षा राशि को भी स्टाक मूल्य का तीन प्रतिशत से। घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा।

सहकारी समितियों की कार्यशैली पर अब लगने लगा सवालिया निशान ?

केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा चितलवाना और सांचौर अंतर्गत कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है । इसका कारण रहा है कि इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अयोग्यताधारी व्यक्तियों द्वारा येन-केन प्रकरण नियमावली को धता बता कर कागजी कार्यवाही में रातों-रात नियुक्तियां करने के पश्चात स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजुद स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित हुए तथाकथित व्यवस्थापक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन कर करोड़ों का लेनदेन किया जा रहा हैं । जो बड़े ही चिंता का विषय है वहीं, पूर्व में देवड़ा और चौरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में भारी गबन हुआ था, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई लेकिन क्या इस कार्रवाई से गबन राशि वसूल हुई? लाखों की राशि के गबन के दायरे में अटकने से इन सहकारी समितियों की हालत पतली हुई, इस प्रकार भवातड़ा, हाडेचा ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी पूर्व समय में लाखों रुपए की राशि का गोलमाल होना, सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति खराब करने, जैसे कर्तव्यों पर नजर डालें तो इस क्षेत्र की सहकारी समितियों पर सवालिया निशान खड़ा होता है ? प्रश्न उठता है कि कौन, कब, कितना गबन कर डाले इसकी कोई गारंटी नहीं है । वहीं, इस वर्ष ऋण वितरण वसूली के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वतः खुलासा हो रहा है कि कौन, कितनी मेहनत से कार्यकुशल है । कई व्यवस्थापक ऐसे हैं कि उन्हें यह मालूम नहीं कि उनकी सहकारी समिति में कितने सदस्य हैं, सदस्यों की कितनी हिस्सा राशि समिति में जमा है । कितने सदस्यों को ऋण वितरण हुआ । कुछ सहकारी समितियां सेल्समैनों के भरोसे, तो कुछ सहकारी समितियों के व्यवस्थापक अपने कर्तव्य से लापरवाह, जिससे इन सहकारी समितियों का भविष्य दिनों-दिन बिगड़ता ही नजर आ रहा है । वैसे नव नियुक्त मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा जिले की सहकारी समितियों का मार्च माह तक वार्षिक निरीक्षण के लिए संबंधित को निर्देशित करने के साथ-साथ मैनेजिंग डायरेक्टर का सख्त रवैया होने से स्थिति सुधर नहीं सकती तो बिगड़ भी नहीं सकती । वही, मैनेजिंग डायरेक्टर की सख्त पकड़ से व्यवस्थाओं में सुधार जरूर हुआ है । लेकिन इन दो शाखाओं के कार्यक्षेत्र की सहकारी समितियों का भविष्य सुधारना है तो यहां पर कागजी कार्यवाही में घोड़े दौड़ा कर रातों-रात संपन्न हुई स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नियमित हुए अयोग्ताधारी व्यवस्थापक की जगह योग्यताधारी व्यवस्थापकों की नियुक्ति के साथ-साथ पिछले समय से बैंक स्तर से नियुक्त किए गए कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षकों को हटाकर काबील एवं ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यवस्थापकों की ऋण पर्यवेक्षक पदों पर नियुक्ति करनी होगी ।

गेहूं-धान के दुष्चक्र से निकलें किसान

इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होता है, लेकिन उसका भंडारण शहरी क्षेत्रों में होता है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए इसका देशव्यापी परिवहन किया जाता है। इससे न केवल ढुलाई लागत बढ़ती है, बल्कि अनाज की बर्बादी भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है।

रमेश कुमार दुबे
लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्द्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी है

किसान आंदोलन का अंत कब होगा ? यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस आंदोलन ने खेती-किसानी की बदहाली और किसानों के नाम पर की जाने वाली राजनीति को उजागर करने का काम किया है। कांग्रेस आज कह रही है कि यदि वह सत्ता में आती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद की गारंटी देगी। ध्यान रहे कि 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग की सरकार थी। उसने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2004 से 2006 के बीच पांच सिफारिशें की थीं, जिन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसकी सबसे अहम सिफारिश थी कि सरकार किसानों से उनकी फसलों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना अधिक कीमत देकर खरीदे। आयोग ने इसके साथ-साथ भूमि सुधार, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, कृषि बाजार के उदारीकरण और किसानों के ऋण एवं बीमा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसकी सिफारिशों को अव्यावहारिक बताते हुए लागू करने से इन्कार कर यद्यपि देश भर के किसान तमाम चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन आंदोलन करने वालों में पंजाब के किसानों की अधिकता है। इसकी जड़ सरकार की एकांगी खरीद नीतियों में निहित है। यद्यपि सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, लेकिन कुछ साल पहले तक यह सरकारी खरीद गेहूं-धान जैसी कुछेक फसलों और पंजाब-हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे चुनिंदा इलाकों तक सिमटी रहती थी। एमएसपी की शुरुआत पिछली सदी के सातवें दशक में तब हुई, जब देश में अनाज का संकट था। तब सरकार ने जिन इलाकों में बेहतर कृषिगत ढांचा मौजूद था, वहां के किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी उपज को सरकार द्वारा तय कीमत पर खरीदा जाएगा, भले ही अनाज की कीमत कितनी भी कम क्यों न हो जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब-हरियाणा में गेहूं-धान केंद्रित कृषि को बढ़ावा मिला और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। इस उपलब्धि के लिए पंजाब को देश के खाद्य-कटोरे की उपाधि दी गई। पंजाब में धीरे-धीरे किसानों-आढ़तियों की ताकतवर लाबी का विकास हुआ, जिसने राजनीतिक दलों और सरकारों पर गेहूं-धान के एमएसपी में बढ़ोतरी और अधिकाधिक सरकारी खरीद के लिए दबाव बनाया। राजनीतिक दलों और सरकारों ने भी गेहूं- धान के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मुफ्त बिजली-पानी का पासा फेंका। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब की परंपरागत फसलें पीछे छूट गई। इससे फसल चक्र रुका और जमीन की उर्वरत उर्वरता से घटी, जिसकी भरपाई के लिए रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा। इससे खेती की लागत बढ़ी और लागत के अनुरूप कीमत न मिलने से गेहूं-धान की खेती घाटे का सौदा बन गई। गेहूं-धान की सरकारी खरीद का एक नतीजा यह निकला कि पंजाब के किसानों को मक्का, कपास और मूंग जैसी फसलें एमएसपी से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। पंजाब में गेहूं-धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने से जल स्तर घटता जा रहा है। 2018 में प्रकाशित पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 79 प्रतिशत इलाकों में भूजल अतिदोहन की श्रेणी में आ चुका है और यहाँ 2039 तक भूजल खत्म हो जाएगा। 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पंजाब में भूजल के ब्लाकवार सर्वे में भी खतरनाक संकेत सामने आए। विडंबना ही है कि पंजाब के संकट से सबक सीखने के बजाय दूसरे राज्य बोनस देकर गेहूं-धान की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में गेहूं और छत्तीसगढ़ में धान। इससे असंतुलित कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि पंजाब को गेहूं-धान के दुष्चक्र से निकाला जाए, पर ठोस प्रयास न होने से किसान मजबूरन गेहूं-धान के कुचक्र में उलझे हुए हैं। अब मोदी सरकार देश की पारिस्थितिक दशाओं के अनुरूप फसल चक्र विकसित कर रही है। इसीलिए बीते एक दशक में सरकार ने गेहूं-धान की तुलना में मोटे अनाजों, दलहनी-तिलहनी फसलों के एमएसपी में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके साथ-साथ सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि उन इलाकों में एमएसपी पर सरकारी खरीद का नेटवर्क स्थापित कर रही है, जहां अभी तक एमएसपी पर खरीद का नामोनिशान तक नहीं है। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होता है, लेकिन उसका भंडारण शहरी क्षेत्रों में होता है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए इसका देशव्यापी परिवहन किया जाता है। इससे न केवल ढुलाई लागत बढ़ती है, बल्कि अनाज की बर्बादी भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फसलों के नुकसान को कम करने के साथ- साथ फसलों की खरीद-बिक्री का विकेंद्रित तंत्र स्थापित करना है। चूंकि पंजाब में गेहूं-धान की खरीद-बिक्री पर बड़े किसानों और आढ़तियों का वर्चस्व है, इसलिए कृषि विपणन सुधारों और फसल विविधीकरण के प्रयासों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में होता रहा है। मौजूदा आंदोलन में पंजाब के किसानों की भागीदारी का एक कारण यह भी है।

संशोधित अधिनियम से मजबूत होगी जवाबदेही

डॉ. अनुपमा कुमारी

यदि केंद्रीय पंजीयक को यह सूचना मिलती है कि एमएससीएस द्वारा गैरकानूनी व्यवसाय किया जा रहा है तो वह जांच करा सकता है।

मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम (संशोधित) 2023 के प्रमुख उद्देश्यों में सहकारी क्षेत्र को जवाबदेह और व्यापार करने में आसान बनाना है। संशोधित नए उपबंध लागू होने से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियां अधिक सुगमता से व्यवसाय कर सकेगी, सदस्यों का चुनाव पारदर्शी होगा साथ हो दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो सकेगा। जिसके परिणामस्वरूप सहकारिता के माध्यम से विकास की राह और आसान होगी। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों के व्यावसायिक संदर्भों को व्याख्या की। 97वें संविधान संशोधन के उपबंधों के अनुसार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट (संशोधित) 2023 में समितियां अधिक सशक्त होंगी, उनकी पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार होगा। संशोधन के तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों के कार्यान्वयन में अनेक उपबंध शामिल किए गए हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियां अब पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी, डिजिटल स्वरूप में आवेदनों, विवरणों, रजिस्ट्रारों की प्रस्तुति वा अन्य प्रतिवेदनों की प्रस्तुति आदि सभी गतिविधियां ऑन लाइन हो जाएंगी तथा सुगम व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कोऑपरेटिव में किसी जरूरी काम के लिए आवेदन करने वालों को अब भटकना नहीं पड़ेगा तथा समय और अम दोनों की बचत होगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों के पंजीकरण को अवधि अब चार माह से घटाकर तीन माह कर दी गई है। आवेदन की कमियों में सुधार के लिए आवेदकों के अनुरोध पर अब दो महीने का अतिरिक्त समय विस्तार दिया जा सकेगा। समितियों की चुनाव प्रक्रिया को भी अधिक बेहतर बनाया गया है, नियमित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को शामिल करने का अनुबंध शामिल किया गया है। यह प्राधिकरण समितियों को दिशा निर्देश जारी करेगा साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेगा। समितियों को वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए गैर मतदान शेयर कर उपबंध भी शामिल किया गया है। इसके तहत समितियों में आर्थिक सहभागिता बढ़ने से समितियों का उत्थान होगा और नये उद्यमी सहकारी क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। वित्तीय कार्यों में लगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों में सुरक्षित निवेश के लिए भी उपबंधों को दोबारा परिभाषित किया गया है, जिसका आशय है कि निवेशकों के सामने सहारा जैसे मामले अब नहीं आएंगे। राज्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी समिति का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में परिवर्तित होने पर सहकारी समितियों के संबंधित पंजीयक के किसी आदेश के बिना ही समिति को अपंजीकृत माना जाएगा। ऐसे मामलों के प्रोसेसिंग समय को घटाया जा सकेगा। संशोधित अधिनियम 2023 में कई ऐसे उपबंध शामिल किए गए हैं, जिससे वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सकेगा तथा समितियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी लोकपाल को नियुक्ति भी निर्धारित की गई है, इससे व्यावसायिक क्षेत्र को देखभाल करने में मदद। मिलेगी। सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति का नियम शामिल किया गया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर या जमापूंजी वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित परीक्षकों के पैनल द्वारा कॉनकरंट परीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है। कॉनकरंट परीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताओं की संभावना का पता लगाया जा सकता है, जिसके अनुरूप तत्काल सुधार किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2023- 24 हेतु एमएससीएस के लिए संपरीक्षकों के दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं। पहला पांच सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर/जमापूंजी वाली समितियों के लिए सांविधिक परीक्षण हेतु परीक्षकों का पैनल तथा दूसरा पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर या जमा (जो भी स्थिति हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कॉनकरंट परीक्षण पैनल बनाया जाएगा। शीर्ष मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव समितियों की परीक्षण रिपोटों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को शर्तों को भी शामिल किया गया है। निदेशक मंडल की बैठकों के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई है। यदि केंद्रीय पंजीयक को यह सूचना मिलती है कि एमएससीएस द्वारा गैरकानूनी व्यवसाय किया जा रहा है तो वह जांच करा सकता है। सोसाइटी का कोई सदस्य यदि सामूहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने के लिए कहता है तो उस सदस्य के निष्कासन की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दो गई है। संशोधित अधिनियम सदस्यों का नियंत्रण बना रहे, प्रबंधन और परिचालन में पारदर्शिता बनी रहे, सदस्यों के हितों का हनन न हो आदि उपबंधों को प्रावधान में जोड़ा गया है। सही मायने में सहकार से समृद्धि लक्ष्य की नींव अधिनियम पर ही टिकी है।

(ये लेखक के अपने विचार है)

मुफ्त की रेवड़ियां रोकने को न कानून आया, न कोर्ट का आदेश

माला दीक्षित ; किसी भी तरह चुनाव जीतने की जुगत में लगे राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त को रेवड़ियों की घोषणा करते हैं, जबकि मतदाता से लेकर राजनीतिक दलों और सरकार, सभी को पता है कि इससे अर्थव्यवस्था चौपट होती है। इस पर विमर्श खूब हुआ। न्यायालय ने भी चिंता जताई, लेकिन रोक के लिए न तो सरकार कानून लाई और न कोर्ट ने आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार इस पर चिंता जता चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अर्थव्यवस्था के लिए घातक और गंभीर मुद्दा बताते हुए संसद में चर्चा का सुझाव दिया था। सर्वदलीय बैठक बुलाने से लेकर विशेषज्ञ समिति गठित करने तक की बात उठीं, लेकिन सब बातों तक ही सीमित रह गया। इस बीच मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार के साथ पांच राज्यों के चुनाव हो गए और अब लोकसभा चुनाव में भी घोषणा-पत्रों में इस तरह की खूब घोषणाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि सभी दल मुफ्त की रेवड़ियां चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर दल मुफ्त की रेवड़ियों पर कोर्ट की की सुनवाई का विरोध कर रहे हैं और कुछ ने चुप्पी साध रखी है। आम आदमी पार्टी, डीएमके और वाईएसआरसीपी ने तो बकायदा अर्जी दाखिल कर सुनवाई का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने जरूर कोर्ट से इस पर आदेश देने या विचार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया था। सर्वदलीय बैठक में विमर्श के सुझाव पर सरकार का कहना था कि जब ज्यादातर दल न कोर्ट में सुनवाई का विरोध कर रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक में हल कैसे निकलेगा। मुफ्त की रेवड़ियों में नकद पैसा देने से लेकर हर तरह के उपहार, बिजली, पानी बिल माफ करने और यहां तक कि कर्ज माफी तक का प्रलोभन शामिल है। **पहले भी उठती रही है मांग ;** यह पहला मौका नहीं है कि जब कोर्ट से मुफ्त की रेवड़ियों को चुनाव चुनाव में भ्रष्ट आचरण घोषित करने की मांग हो रही हो। करीब 11 वर्ष पूर्व पांच जुलाई, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही मांग ठुकरा चुका है। कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा-पत्र में किए गए मुफ्त उपहारों के वादे, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून उम्मीदवारों की बात करता है, न कि राजनीतिक दलों की। यह फैसला दो जजों की पीठ ने दिया था। कोर्ट ने गबन करने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि, ने माना था कि मुफ्त रेवड़ियों से लोग प्रलोभित होते हैं और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर असर डालती हैं। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट में कहा था कि इससे चुनाव प्रक्रिया दूषित होती है, इसलिए कोर्ट इस पर आदेश दे, मगर कोर्ट ने कहा कि उसके पास इस बारे में निर्देश देने को सीमित शक्ति है। वह मामला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रंगीन टीवी, सोना, मिक्सर ग्राइंडर आदि मुफ्त देने की राजनीतिक दलों की घोषणाओं और जीतने के बाद उन्हें पूरा करने पर होने वाले खर्च के बारे में था।

मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसकी बानगी स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) की मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में तीन अक्टूबर, 2022 की रिपोर्ट में दिखती है।

2022 में भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मुफ्त घोषणा पर रोक और उसे चुनाव में भ्रष्ट आचरण घोषित करने की मांग की। बाद में कुछ और याचिकाएं दाखिल हुईं, जिनमें 2013 के फैसले पर पुनर्विचार की भी मांग हुई। उस पर कोर्ट नै यह मामला तीन जजों की पीठ को भेज दिया। नई सुनवाई में भी कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर है, पर कहा कि यह तय करना भी महत्वपूर्ण है कि किस चीज को मुफ्त की रेवड़ी माना जाए और किसे कल्याणकारी योजना, क्योंकि दोनों के बीच बहुत महीन अंतर है। **आईना दिखाती एसबीआइ की रिपोर्ट ;** मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसकी बानगी स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) की मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में तीन अक्टूबर, 2022 की रिपोर्ट में दिखती है। रिपोर्ट में ऐसी घोषणाओं के प्रति आगाह किया गया है और इसे अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया गया है। एसबीआइ ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व वाली समिति से अपेक्षा करता है कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या कर संग्रह के एक प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाएगा। बात तब की है, जब कोर्ट ने समिति बनाने के संकेत दिए थे। हालांकि, अभी तक इस पर कोई समिति गठित नहीं हुई है। रिपोर्ट में अन्य मुफ्त घोषणाओं के अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू करने से राज्यों पर बढ़ते बोझ का भी आकलन है। रिपोर्ट से साबित होता है कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाला समय खराब हो सकता है। सरकार या कोर्ट को इस पर अंकुश लगाना होगा।

श्वेत क्रांति ; क्षेत्र में 48 दूध उत्पादक समितियां कार्यरत, रोजाना 30 हजार लीटर दूध का संकलन

खेती-बाड़ी के साथ रास आया पशुपालन, किसानों की आय बढ़ी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

दुग्ध उत्पादक समितियों ने बनाई राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान

पश्चिमी राजस्थान में बिलाड़ा क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां ने श्वेत क्रांति से किसानों को आर्थिक मजबूती देने के ठोस प्रयास किए हैं। हर किसान परिवार खेती-बाड़ी के साथ 3-4 भैंस या गाय को पालने लगे। दुधारू पशु पालने वाले परिवारों के जीवन स्तर में बदलाव सा आ गया। कई परिवारों की दूध के बदौलत क्रय शक्ति में इजाफा हो गया। इससे उनके जीवन स्तर में भी काफी बदलाव आया है। अब ऐसे कई परिवारों की गिनती संपन्न परिवारों में होने लगी है। बिलाड़ा क्षेत्र में स्थापित दुग्ध अवशीतन केंद्र पर अन्य छोटी बड़ी 48 समितियां से प्रतिदिन 30 हजार लीटर से अधिक दूध पहुंचता है। यहां की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सक्रियता के चलते बिलाड़ा डेयरी का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। यह डेयरी दो बार राष्ट्रीय स्तर पर और प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर सम्मानित की जा रही है। इस क्षेत्र में 48 समितियां दुग्ध संकलन कर वरमूल डेयरी संघ जोधपुर को दूध सप्लाई करने लगी। स्थानीय डेयरी ने तो अपना दुग्ध अवशीतन केंद्र तक स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 20 हजार लीटर दूध जोधपुर जाने लगा।

लाभांश के साथ पुरस्कार ; क्षेत्र की सभी 16 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने प्रतिवर्ष ना केवल अपना कारोबार बढ़ाया, बल्कि वार्षिक कारोबार से अर्जित किए गए लाभ में से अपने सदस्यों को लाभांश भी दिया। दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष उपहार, संस्था अपने सदस्य के कराए गए बीमे का आधा प्रीमियम, उनके पढ़ाई कर रहे बच्चों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति भी दी है। उन्नत नस्ल के सांड- पाड़ा आदि निशुल्क सांड घरों में देना प्रारंभ कर दिया। अनुदानित दर पर पशु आहार भी दिया जा रहा है।

गुणवत्ता पर ध्यान ; डेयरी प्रशासन ने प्रत्येक बूथ पर दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए लेक्टो स्कैन मशीन भी लगा रखी है। इससे दूध की गुणवत्ता के अनुसार चुका किया जाता है।

भरोसा बढ़ा ; वरमूल डेयरी संघ जोधपुर के डेयरी अध्यक्ष एवं डायरेक्टर धन्नाराम हाम्बड का कहना हैं कि वरमूल डेयरी संघ जोधपुर को फिलहाल जिले की विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां से सवा लाख लीटर दूध प्रतिदिन मिल रहा है। सरस घी, पनीर, श्रीखंड और छाछ जैसे उत्पाद तैयार कर जिले की विभिन्न सहकारी समितियां में पहुंचाया जाता है। जिले भर के लोग हमारे इन उत्पाद को विश्वसनीयता के साथ पसंद करते हैं।

सदस्यों में नाराजगी ; बिलाड़ा दुग्ध उत्पादक समिति के मुख्य प्रबंधक बाबूलाल राठौड का कहना हैं कि वरमूल डेयरी संघ ने हमारी समिति की ओर से भेजे जा रहे दूध के प्रति फैट 90 पैसे कम कर दिए हैं, जिससे दूध उत्पादक सदस्यों में नाराजगी है। दूध उत्पादकों को हो रहे हैं इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में संस्था अपनी ओर से 30 पैसे प्रति फैट बढक़र सदस्यों को भुगतान कर रही है।

बिलाडा। डेयरी मे दुध की आवक

सरकार की योजनाओं एवं विभागीय निर्देशों की समयबद्ध पालना करें सुनिश्चित

राजकाज के माध्यम से पत्रावलियों का होगा त्वरित निस्तारण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । सहकारिता विभाग की शासन सचिव श्रीमती शुचि त्यागी ने राज्य सरकार की योजनाओं एवं विभागीय निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निवर्हन करें। श्रीमती त्यागी ने मंगलवार को सहकार भवन में सभी अनुभागों में राजकाज के माध्यम से पत्रावलियों के निस्तारण की प्रक्रि या की संबंधित कार्मिकों की बैठक में पत्रावलियों का समयबद्ध निरीक्षण कर उनके त्वरित निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्यालय पद्धति के अनुसार सभी कार्मिकों द्वारा डेली डायरी संधारित की जाये ताकि उनके द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा सके। शासन सचिव ने दैनिक रूप से प्राप्त पत्रों को स्केन कर उन्हें संबधित फंक्शनल अधिकारी के इलेक्ट्रोनिक ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये, साथ ही कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले पत्रों को ई-डॉक द्वारा भेजे जाने के निर्देश दिये ताकि पत्र प्रेषण में लगने वाले समय को कम किया जा सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिये उनकी मॉनिटरिंग की जाए। सभी कार्मिक एवं अधिकारी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण एवं दैनिक कार्य के प्रति जवाबदेहता निर्धारित करें। सभी पत्रावलियों को राज-काज के माध्यम से ई-फाईल द्वारा जल्द निस्तारण करना सुनिश्चित करें। काम में नहीं आ रहे पत्रावलियां एवं रिकार्ड का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान रजिस्ट्रार सहकारिता श्रीमती अर्चना सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्री राजीव लोचन शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

गिरवी रखे सोने की गुणवत्ता को परखें बैंक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सरकारी बैंकों में गोल्ड लोन स्कीम की गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय और आरबीआई सतर्क

● हाल ही में सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों के स्वर्ण भंडार की गुणवत्ता को लेकर सामने आई थी जानकारी

नई दिल्ली। जब से बैंकिंग सेक्टर में पुराने सोने (स्वर्ण आभूषण आदि) के बदले लोन देने की सेवा शुरू हुई है उसके बाद से इसको लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। हाल ही में कुछ बैंकों के स्वर्ण भंडार की गुणवत्ता को लेकर सूचनाएं आई हैं जिससे वित्त मंत्रालय सतर्क हो गया है। वित्त मंत्रालय ने इस सिलसिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कहा है कि सोने के बदले लोन देने की स्कीम पर नजर रखें और खास तौर पर यह सुनिश्चित करें कि जिस सोने के बदले वह कर्ज मुहैया करा रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। इस बारे में सरकारी बैंकों को लिखे गये पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें अपनी कर्ज (सोने के बदले) स्कीम की समय समय पर पूरी तरह से समीक्षा भी करनी चाहिए ताकि इससे जुड़ी किसी तरह की खामी सामने आए तो उसे समय पर दूर किया जा सके। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच इस बारे मे विमर्श भी चल रहा है कि गोल्ड लोन स्कीमों को सुधारने के लिए और क्या कदम उठाए जाएं।

वित्त मंत्रालय की तरफ से यह पत्र तब भेजा गया है कि जब सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों के स्वर्ण भंडार की गुणवत्ता को लेकर सूचना सामने आई है। इन बैंकों का नाम तो सामने नहीं आया है लेकिन यह बताया गया है कि इनकी तरफ से गिरवी रखे गये सोने की जो कीमत खाता-बही में दर्ज की गई है वह वास्तविक कीमत के मुकाबले काफी ज्यादा है।

बैंकों के आंतरिक आडिट में यह भी पता चला है कि 18 कैरेट के सोने को 22 कैरेट का सोना बता कर उसकी मूल्यांकन किया गया है। आरबीआई के नियम के मुताबिक बैंक सोने के भाव के 75 फीसद तक कीमत के बराबर लोन दे सकते हैं। लेकिन असलियत में बैंक इससे भी ज्यादा का कर्ज मुहैया करा देते हैं। सरकार और आरबीआई इस सूचना की भी जांच कर रही है कि सोने के बदले लोन को लेकर बैंक शाखा स्तर पर लक्ष्य तय कर दिया जाता है और इस लक्ष्य को हासिल करने के चक्कर में नियमों को ताक पर रखने का काम हो रहा है। सनद रहे कि पिछले दिनों ही आरबीआइ ने एक प्रमुख एनबीएफसी आईआईएफएल को नये गोल्ड लोन देने से मना कर दिया था। इस कारोबार की शुरुआत तकरीबन 15 वर्ष पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से की गई थी जिसमें बाद में निजी व सरकारी क्षेत्र के बड़े बड़े बैंक भी आ गये। आरबीआई भी सोने के बदले लोन देने की स्कीम की कड़ी निगरानी करता है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक स्वर्ण आभूषण के बदले लोन देने की राशि 1,00,000 करोड़ रुपये को पार कर गई है।

जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति बैठक हुई संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । कृषि के आत्मा परियोजना के सभागार में मार्गदर्शी बैंक द्वारा आयोजित त्रैमासिक जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर शुभम चैधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है इसलिए पूर्व लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। उन्होंने विभिन्न विभागों में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना, सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन,डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन इत्यादि योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी व बैंक के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से निस्तारण करें। बैठक में जिला कलक्टर द्वारा वार्षिक साख योजना 2024-25 का अनुमोदन किया गया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक गौरव गुप्ता ने जिले की वार्षिक साख योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को शत- प्रतिशत करने के लिए टाइम लाइन इस वित्त ीय वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिये, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक मृणाल मीणा ने एसबीआई की शाखाओ में सरकारी योजनाओ में लंबित ऋण आवेदन पत्रों सर्वेच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने का आश्वस्त किया। बैठक में नाबार्ड के सहायक महा प्रबधक डॉ.दिनेश प्रजापत, लीड बैक अधिकारी उम्मेदराम मीणा ने उपस्थित विभिन्न बैको एवं विभागो के अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा व संवाद करते हुए सुझाव एवं शंकाओ का मौके पर ही निस्तारण किया तथा उन्हें लक्ष्यों के अनुसार प्रगति अर्जित करने के निर्देश दिए। बैठक में आर-सेटी निदेशक कैलाश गहलोत, एफएलसी से दिनेश खंडेलवाल,लीड बैंक से भरत कुमार, भंवर लाल, राजेंद्र कुमार मौजूद रहें।

पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी जागरूकता की दिलाई शपथ

जालोर । पोषण आभियान के तहत पोषण जागरूकता को लेकर महिला एवं बालिका विभाग के अधीन गोदन केन्द्र में विभागीय कार्यकर्ता को पोषण संबंधी जागरूकता की शपथ दिलाकर के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक अशोक कुमार व सहायक सांख्यिकी अधिकारी रामजीवन विश्नोई ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण संबंधी जागरूकता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनवाडी कार्यकर्ता उषा वैष्णव, कांता गर्ग, लता, माधवी ने पोषण आहार संबधी रंगोली बनाई के जागरूकता का संदेश दिया गया।

लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत जालोर व सांचौर जिले में कुल 28 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित

जालोर । लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जालोर व सांचौर जिले में 1450 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों पर कुल 28 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवचरण मीणा ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जालोर व सांचौर जिले में 1450 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए निर्वाचन विभाग को भिजवाये गये प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरांत जालोर व सांचौर जिले में कुल 28 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि आहोर विधानसभा क्षेत्र-141 में भाग संख्या 157, जालोर विधानसभा क्षेत्र-142 में भाग संख्या 3 , 111 व 220, भीनमाल विधानसभा-143 में भाग संख्या 8, 106, 142, 178, 217 व 218, सांचौर विधानसभा क्षेत्र-144 में भाग संख्या 81, 152, 212 व 278 तथा रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र-145 में भाग संख्या 24, 45, 57, 70, 71, 86, 134, 141, 143, 145, 171, 176, 177 व 181 के लिए सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जालोर व सांचौर जिले में कुल 28 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित होने से अब कुल 1403 मतदान केन्द्रों जिनमें आहोर विधानसभा में 263, जालोर विधानसभा में 261, भीनमाल विधानसभा में 290, सांचौर विधानसभा में 323 व रानीवाड़ा विधानसभा में 266 मतदान केन्द्र होंगे।

सपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों समीक्षा बैठक हुई आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही, । जिला कलक्टर डॉ. शुभम चैधरी की अध्यक्षता में आयोजित सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देना हमारी पहली प्राथमिकता है तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। इसी के क्रम में संबंधित अधिकारीगण पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण तीव्रता करते हुए एक माह से अधिक लम्बित परिवादों को शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाडीव व बरलूट का औचक निरीक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही, । जिला कलक्टर शुभम चैधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाडीव व बरलूट का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलक्टर ने निरीक्षण के दौरान पाडीव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बेडसीटों को साफ सुथरी व व्हील चेयर सुरक्षित रखने तथा बरलूट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक चिकित्सक एवं एक नर्सिग स्टाफ बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए संबंधित को निर्देश दिए। वहां पर दवा वितरण व्यवस्था, वार्ड एवं लेबर रूम इत्यादी का निरीक्षण किया तथा पाई गई कमियों को दूर करने के आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने निरीक्षण के दौरान ने समय की पाबंदी एवं साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिलवाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए साथ ही इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील समस्त अनुभागों का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया।

फसली सहकारी खरीफ ऋण 31 मार्च तक जमा नहीं करने वाले कृषकों का चुकाना होगा साल का ब्याज

2 हजार गांवों के दो लाख किसानों के सामने 600 करोड़ रुपए का फसली ऋण चुकाने की चुनौती

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

राज्य सरकार ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाए तो किसानों को मिले राहत

बाड़मेर जिले की जसाई जीएसएस फाइल

बाड़मेर । केन्द्रीय सहकारी बैंक ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से गत साल खरीफ सीजन में जिलेभर के लगभग दो लाख किसानों को 600 करोड़ से ज्यादा का अल्पकालीन फसली ऋण बांटा था, जिस चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। जिससे किसानों के सामने महज 16 दिनों में 600 करोड़ जमा करवाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वही, इस साल जिले में मौसम की बेरुखी के चलते बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ व तिल की फसलें मुरझाकर नष्ट हो गई, सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेकर बुआई करने वाले किसान अपनी किस्मत को कोसते रहे गए। राज्य सरकार ने गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाड़मेर और बालोतरा के करीब दो हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया। लेकिन केन्द्रीय सहकारी बैंक ने ऋण वसूली के लिए अभियान शुरू कर किसानों को 31 मार्च तक बकाया ऋण जमा करने के नोटिस थमा दिए। सूखे का दंश भोग रहे किसानों के लिए रोजी-रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति में सहकारी समितियों का ऋण चुकाना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि अकाल की स्थिति में राज्य सरकार अल्पकालीन खरीफ ऋण जमा करवाने की अवधि 30 जून तक बढ़ाती है, लेकिन इस बार ठोस पैरवी के अभाव में अभी तक फसली सहकारी ऋण जमा करवाने की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई है। इस वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि हर साल खरीफ की सीजन में किसानों को फसली ऋण बांटा जाता है। 31 मार्च तक बकाया ऋण जमा करवाने पर ब्याज मुक्त योजना का लाभ मिलता है। इसके बाद ऋण अवधि पार की श्रेणी में शामिल हो जाते ही पूरे वर्षभर का ब्याज चुकाना पड़ता है।

चार लाख किसान प्रभावित

वर्ष 2023 में बारिश के अभाव में अकाल के हालात बन गए। सीजन में खरीफ फसलों की बुआई के बाद समय पर बारिश नहीं होने से बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ समेत अन्य फसलें जलकर नष्ट हो गई। किसानों को पशुओं के चराने के लिए चारा भी नहीं मिला। गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार दोनों जिलों के दो हजार गांव अकाल की चपेट में आए। इससे चार लाख किसानों को नुकसान झेलन पड़ा। 33 फीसदी अधिक फसल खराबे वाले क्षेत्र के किसानों को राज्य सरकार की ओर से कृषि आदान अनुदान का भुगतान करना प्रस्तावित है।

कर्जदार बन गए कहां से चुकाएं ऋण

सहकारी समितियों से जुड़े किसानों ने बताया कि हर साल खरीफ व रबी की सीजन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से फसली सहकारी ऋण लेते हैं। गत साल बारिश नहीं होने से बुआई का खर्चा भी गले पड़ गया। किसान बताते हैं कि अकाल की वजह से कुछ हाथ ही नहीं लगा तो ऋण कैसे चुकता करें। सरकार को ऋण वसूली की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिले सके। गत साल भी सरकार ने किसानों को राहत दी थी।

फसल खराबे का क्लेम मिला न अनुदान

बाडमेर व बालोतरा के अकालग्रस्त गांवों की गिरदावरी रिपोर्ट में फसल खराबे का आंकलन किया गया, लेकिन अभी तक बीमा कंपनियों ने किसानों को खरीफ क्लेम का भुगतान नहीं किया है। 2018 का खरीफ क्लेम भी कागजों में अटका था । किसान बैंक व नेताओं के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। इतना ही नहीं कृषि आदान अनुदान के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। क्लेम या अनुदान समय पर मिल जाता तो किसानों को कुछ राहत जरूर मिलती।

सीएम के समक्ष भी उठा थी मांग

सीएम भजनलाल शर्मा के बाड़मेर दौरे के दौरान जिले के किसानों ने अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया था ।

खरीफ ऋण की तिथि बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। इस संबंध में सीएम भजनलाल को अवगत करवाया है। जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी।

-के.के. विश्नोई,
उद्योग व श्रम राज्यमंत्री।

खरीफ 2023 का अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इस अवधि में ऋण जमा करवाने पर ब्याज मुक्त है। इसके बाद ब्याज लगेगा।

-अनिल विश्नोई,
प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर

एक महीने में 80 प्रतिशत किसानों की बकाया अनुदान राशि का हुआ भुगतान

जयपुर,। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत से बुधवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। जयपुर डेयरी के दुग्ध उत्पादक किसानों के छः महीने से लंबित चल रहे बकाया अनुदान का भुगतान हो जाने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए श्री कुमावत का धन्यवाद किया। पशुपालन मंत्री ने बताया कि पिछले एक महीने में लगभग 80 प्रतिशत किसानों के बकाया अनुदान राशि का भुगतान हो चुका है बाकी 20 प्रतिशत का भुगतान भी जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नव गठित सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य की सभी सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान है और इसके लिए नई कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाई जाएंगी। ग्रास रूट लेवल तक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरियों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में नई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। श्री कुमावत ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा वर्तमान में चल रही सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने जिला दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारीगण तथा डेयरी अधिकारियों में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने पर भी बल दिया।

प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए केंद्र ने 220 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया की प्रदेश में सड़क विकास के लिए केंद्र ने 220 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है उन्होंने कहा की इससे प्रदेश में सड़क विकास विकास को गति मिलेगी और सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश को 219. 93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा की प्रदेश की डबल इंजन सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य करवा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी ने बताया की राशि मिलने से सीआरआईएफ श्रेणी के तहत स्वीकृत सड़क परियोजना को गति मिलेगी और काम समय से पहले पूरे हो सकेंगे।

कोटा संभाग में सरसों, चना खरीद कार्य 15 मार्च से एवं शेष राज्य में 01 अप्रेल 2024 से आरंभ होगा

- सरसों, चना की तुलाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरसों एवं चने के 520-520 कुल 1040 केन्द्र किये गये स्वीकृत
- कृषक ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकेंगे
- पंजीयन का समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक का रहेगा
- सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा 5650 रुपये एवं चने का 5440 रुपये प्रति क्विंटल किया गया घोषित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । भारत सरकार द्वारा राज्य में सरसों खरीद के लिए 14.58 लाख मीट्रिक टन एवं चना खरीद के लिए 4.52 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य स्वीकृत किये गये है। राज्य में गत वर्षों की भांति सरसों, चना की खरीद ऑनलाईन प्रक्रियानुसार की जानी है। इस हेतु कोटा संभाग में सरसों, चना के कृषकों के पंजीयन 12 मार्च से तथा शेष राज्य में 22 मार्च से आरंभ किये जा रहे हैं। कोटा संभाग में सरसों, चना की खरीद का कार्य 15 मार्च से तथा शेष राज्य में 01 अप्रेल से आरंभ किया जाएगा। रबी सीजन 2024-25 में किसानों को उनके नजदीकी क्षेत्र में सरसों, चना की तुलाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरसों एवं चने के 520-520 कुल 1040 क्र य केन्द्र स्वीकृत किये गये है। प्रबन्ध निदेशक, राजफैड एवं शासन सचिव, सहकारिता स्तर से रबी 2024-25 में सरसों एवं चने की खरीद संबंधी तैयारियों की वी.सी. के माध्यम से समीक्षा की गई इस दौरान बतलाया गया कि कृषक ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन का समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक का रहेगा। पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। किसान को जनाधार कार्ड, गिरदावरी एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। किसान को आधार आधारित बायोमैट्रिक अभिप्रमाणन से पंजीयन करवाना होगा। सभी किसान अपना मोबाईल नम्बर आधार से लिंक करवा लेंवे ताकि किसानों को समय रहते तुलाई दिनांक की सूचना प्राप्त हो सके। किसान भाई जनाधार कार्ड में अपने बैंक खाते के नम्बर को अद्यतन (अपडेट) कराना सुनिशिचित करें ताकि खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी. कोड में यदि कोई विसंगति है तो किसान द्वारा समय पर उसका सुधार करवाया जा सके। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी बतलाया गया कि एक जनाधार कार्ड पर एक ही पंजीयन मान्य होगा। किसान एक मोबाईल नम्बर पर एक ही पंजीयन दर्ज करा सकेगा। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि ई-मित्र पंजीयन से संबंधित नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। जिस क्षेत्र में किसान की कृषि भूमि है उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन कर पंजीयन करवा सकेंगे, यदि कृषक/ई-मित्र द्वारा गलत तहसील भरकर पंजीयन कराया जाता है तो ऐसे किसानों से जिन्स क्रय करना संभव नहीं होगा। यदि ई-मित्र द्वारा गलत पंजीयन किये जाते है अथवा तहसील से बाहर पंजीयन किये जाते है तो ऐसे ई-मित्र के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा 5650 रुपये एवं चने का 5440 रु प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। सरसों में नमी की अधिकतम मात्रा 8 प्रतिशत एवं चने में नमी की अधिकतम मात्रा 14 प्रतिशत निर्धारित है। अत: किसान क्रय केन्द्र पर अपने जिन्स को साफ-सुथरा, छानकर, क्रय केन्द्र पर लावें ताकि एफ.ए.क्यू. श्रेणी के गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप सरसों, चना की खरीद की जा सके। किसानों की समस्या के समाधान के लिए राजफैड द्वारा हैल्पलाईन नम्बर 18001806001 स्थापित किया हुआ है।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें → मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर, शुक्रवार, 15 मार्च 2024

4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सहकारिता के मूल ध्येय के साथ कार्यप्रणाली को सहकारी समितियों में लागू करने के क्रम में सीसीबी अधिशाषी अधिकारी ने जारी किया आदेश

सहकारी समितियों के कार्यालय को समय पर खोलने के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यालय को अब समय पर खोल कर संचालित करना पड़ेगा, साथ ही, समिति कार्मिक के अलावा अन्यान्य गैर-अधिकृत व्यक्ति अब समिति का कार्य नहीं कर सकेंगे । राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सुशासन की संकल्पना के प्रदत्त निर्देश एवं सहकारिता मंत्री द्वारा सहकारी संस्थाओं की साख या छवि जनमानस में सुधारने के लिए सुशासन के सिद्धान्तों व सहकारिता के मूल ध्येय के साथ कार्यप्रणाली को लागू करने के क्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर के अधिशाषी अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक, समिति के संचालक मंडल की समय-समय पर बैठक एवं साधारण सभा की बैठक आयोजित कराना व्यवस्थापक का अनिवार्य कार्य बताते हुए इसमें लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने के साथ-साथ जिस व्यवस्थापक के पास एक से ज्यादा समितियों का चार्ज हैं, उस व्यवस्थापक द्वारा दिनांक वार समिति का निर्धारण किया जाएं, तथा उसकी सूचना संबंधित समिति के सूचना पट्ट पर अंकन करने के अलावा व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में समिति में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन द्वारा समिति कार्यालय को खुला रखने के निर्देश आदेश के माध्यम से दिए गए है।

सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों को ऋण, हिस्सा राशि, ब्याज, बीमा प्रीमियम, बीमा क्लेम की जानकारी वर्ष में दो बार (सीजन वार) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ-साथ सहकारी समिति में कार्यरत व्यवस्थापक को अपना मोबाइल फोन स्वीच ऑन रखने के संबंध में सीसीबी के अधिषासी अधिकारी ने किया निर्देशित

समय पर हो ऑडिट, नये सदस्यों को समय पर मिले ऋण

सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के पात्र लोगों का आवेदन प्राप्त होने पर सदस्य बनाया जाए, ताकि उन्हें सहकारिता विभाग की सेवाओं का लाभ मिल सकें । इसके साथ ही, सहकारी समिति का रिकार्ड पूर्ण रखते हुए समय पर ऑडिट करवाने एवं ऑडिट रिपोर्ट में अंकित आक्षेपों का समयबद्ध निस्तारण करवाकर आक्षेपों की अनुपालना संचालक बोर्ड से अनुमोदित करवाने के निर्देश जारी किए गए है।

सुत्रो ने किया कार्यालय आदेश का स्वागत

जिले के सहकारिता गलियारों में केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिशाषी अधिकारी की ओर से जारी कार्यालय आदेश की वाहवाही हो रही है। साथ ही, जिले में सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने जिले में सहकारी समितियों के कार्यालय समय पर खोलने के साथ-साथ समितियों के जरिए क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में आमजन को लाभान्वित करने के आदेश का स्वागत किया है।

योजनाओं क्रियान्वयन में पारदर्शिता का हो पालन

ग्राम सेवा सहकारी समितियां में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे अल्पकालीन फसली ऋण, किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में कृषि आदान, उर्वरक वितरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज सहकार बीमा, दुर्घटना बीमा आदि योजनओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता, समयबद्धता की पालना की जाएं, साथ ही, संबंधित व्यवस्थापक इन योजनाओं क्रियान्वयन के लिए संचालक बोर्ड के नीति-निर्णय, निर्देशन में कार्य करें ।

समिति ने वर्ष 2022-23 में 4 लाख 52 हजार का लाभ किया अर्जित

आम सभा में दिया आय-व्यय का ब्यौरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। ग्राम सेवा सहकारी समिति कालाऊना में समिति की 39 वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन हुआ जिसमें समिति के सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष रमेश रेगर ने बताया कि समिति ने वर्ष भर में चार लाख 52 हजार का लाभ अर्जित किया है। मुख्य अतिथि शिवराज सिंह खेजड़ला ने कहा कि किसान अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य बने और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर उनका लाभ उठाएं। ग्रामीणों के सहयोग से ही गांव की सहकारी समिति मजबूत हो सकती हैं।

व्यवस्थापक भंवरसिंह उदावत ने वर्ष भर के आय-व्यय की जानकारी दी। इस अवसर पर जीएसएस अध्यक्ष किशोर कुमार पारीक, चंपालाल माली, मांगीलाल चौधरी खारिया, भंवरलाल चौधरी, हकीम खान, रतनलाल रेगर, देवीसिंह उदावत, शेषाराम कीर, गोकुलराम मेघवाल, शोभागसिंह, हेमाराम सीरवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 90 लाख नए लाभार्थी जुड़े

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, कृषि मंत्रालय ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पिछले साढ़े तीन महीनों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना से 90 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा लांच की थीं। केंद्र सरकार ने दो फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना लांच की थी। योजना के तहत योग्य किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये की नकद राशि मिलती है। यह राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। योजना के तहत अब तक करीब तीन लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपये कोरोना महामारी के दौरान किसानों को दिए गए थे। एक सर्वे के अनुसार, किसान योजना के तहत मिल रही नकद राशि कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक और पेस्टीसाइड खरीदने में इस्तेमाल कर रहे हैं।

राज्य के 50 हजार से अधिक किसानों के खेतों पर लगेंगे सोलर पप - 900 करोड़ रूपये से अधिक का दिया जाएगा अनुदान

प्रदेश के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता - भजनलाल शर्मा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार कृषकों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रूपये प्रतिवर्ष किया गया है तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रूपये कर दिया गया है। श्री शर्मा जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर पम्प संयंत्र स्वीकृति-पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। समारोह में 500 से ज्यादा किसान उपस्थित थे जिनमें से 10 कृषकों को मुख्यमंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्वीकृति-पत्र प्रदान किये। विभिन्न जिलों में पंचायत समिति केन्द्रों पर कृषक वीसी के माध्यम से जुड़े। सोलर पम्प के लिए प्रदेश के लगभग 50 हजार किसानों को स्वीकृतियां जारी की गई है, इस पर लगभग 1830 करोड़ रूपये का व्यय होगा, जिसमें से 908 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में कृषकों को प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही आज राजस्थान ईसबगोल एवं जीरा उत्पादन में देश भर में प्रथम, मैथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में दूसरे तथा अजवाईन एवं धनिया के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। किसानों की उपज बढ़ाने के लिए राज्य बजट में 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार एवं मोठ के बीज मिनिकिट नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराये पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी।

6 नऐ अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त

जयपुर,। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के लिए श्री सन्दीप तनेजा, श्री विज्ञान शाह एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के लिए श्री राजेश पंवार, श्री महावीर विश्नोई, श्री मनीष को तथा उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के लिए श्री शिवमंगल शर्मा को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त श्री अर्चित बोहरा, श्री राकेश कुमार बैरवा, श्री शिवम चौहान एवं श्री ललित पारीक को भी राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर व जोधपुर के लिए अतिरिक्त/डिप्टी/असिस्टेंट गोवर्मेन्ट काउंसिल नियुक्त किया गया। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के लिए निधि जसवाल को एडवोकेट ऑन रिकार्ड तथा श्री सौरभ राजपाल, श्री दिव्यांक पंवार, श्री क्षितज मित्त ाल, अनिशा रस्तोगी को पेनल लॉयर के रूप में नियुक्त किया गया।

हिन्दी पाक्षिक
मारवाड़ का मित्र
विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें
Website
Www.Marwadkamitra.in
Mo. 9602473302, 7976323829
Mail ID - marwadkamitra@gmail.com

कोटा बूंदी क्षेत्र में सहकारिता से श्वेत क्रांति और महिला आत्मनिर्भरता के नए युग की होगी शुरूआत - बिरला

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

कोटा । दी कोटा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की 12वीं शाखा श्रीनाथपुरम का लोकार्पण बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक तथा लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्रीनाथपुरम बैंक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधन में कहा कि देश में हुए बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सहकारिता आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहकार से समृद्धि के नारे के साथ देश और प्रत्येक देशवासी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता की बदौलत आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार होगा वहीं, कोटा में भी सहकारिता से विकास के नए अध्याय लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र में सहकारिता के जरिए श्वेत क्रांति और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नए युग की शुरूआत होगी। आज किसान को डेढ़ लाख रुपये तक का सहकारी ऋण शून्य ब्याज पर सहकारी बैंकों के माध्यम से मिल रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया है, वह सहकारिता के माध्यम से ही संभव होगा। कार्यक्रम में उपस्थित मातृ शक्ति को नमन करते हुए बिरला ने सहकारिता के माध्यम से दीदियों को लखपति बनाने और किसानों, श्रमवीरों के जीवन के उत्थान का प्रमुख माध्यम बताया। बिरला ने सहकारिता से जुड़े प्रारंभिक जीवन के कई अनुभव साझा किए। बिरला ने कोटा सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक के वर्तमान प्रबंधन के नेतृत्व में करोड़ों रूपये की संचित हानि से उबारकर संचित लाभ में आने और 6 वर्षों में बैंक के एन पी ए, सहित विभिन्न वित्तीय पैरामीटर में शानदार प्रगति पर बैंक टीम की प्रशंसा की। विधायक कल्पना देवी ने बताया कि बैंक का इतिहास उनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है यह जानकर मन प्रसन्न हो उठता है। यह बैंक किसानों और ग्रामीण परिवारों से जुड़ा हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ब्याजखोर साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैंक के एम डी बलविन्दर सिंह गिल ने बैंक की प्रगति एवं वित्तीय उपलब्धियां के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में आजीविका ऋण से लाभान्वित 116 महिलाओं को 74 लाख 42 हजार रुपये का चेक भेंट किया गया तथा बैंक के नवीन भवन निर्माण के लिए यू आई टी के ठेकेदार सुरेश गुप्ता को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। शाखा के लोकार्पण के साथ ही 5 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार से स्वीकृत कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए क्रय किये गए उपकरणों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रेम गोचर, राकेश जैन, हेमन्त विजयवर्गीय, सहकारिता के जनप्रतिनिधि चैन सिंह राठौर, ओम मेहता, महीप सिंह सोलंकी, निहाल सिंह, हेमराज हाड़ा, विभाग के अधिकारी बृजेन्द्र शर्मा, बीना बैरवा, अनिल मित्तल, अनिता पंवार, नाबार्ड से आर पी शर्मा, बैंक के अधिकारी नरेंद्र बिष्ट, राजेश मीणा, हेमन्त सामरिया, राजेन्द्र यादव, शशि शेखर और सहकारी समितियों के प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सहकारिता हर वर्ग के विकास की धुरी-सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारिता को हर वर्ग के विकास की धुरी बताते हुए कोटा में सहकारिता के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने अगले दो साल में कोटा बैंक को राज्य का नबर एक बैंक बनने की शुभकामनाएं देते हुए बैंक टीम को उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

18 वर्ष व उससे अधिक आयु के मतदाताओं का किया जायेगा पंजीकरण

23 व 24 मार्च को मतदान केन्द्रों पर होगा विशेष अभियान का आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। लोकसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिगत जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम, क्रमांक एवं मतदान केन्द्र आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं नये मतदाता पंजीकरण के लिए 23 व 24 मार्च को विशेष अभियान का आयोजन किया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवचरण मीणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 23 मार्च, शनिवार एवं 24 मार्च, रविवार को प्रात: 11 बजे से सायं 6 बजे तक विशेष अभियान का आयोजन कर मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में वोटर हेल्पलाइन एप अथवा बीएलओ के माध्यम से पंजीकरण किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के विशेष अभियान के दौरान मतदाता एप्स यथा-वीएचए, ईसीआई-सक्षम, केवाईसी, सी-विजिल, 1950 आदि विभिन्न जागरूकता पोस्टर्स का प्रदर्शन किया जायेगा साथ ही मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन एप (वीएचए) से मतदाता सूची में अपना नाम देखने के बारे में हैण्ड-ऑन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

मतदाता सूची में नाम, क्रमांक व मतदान केन्द्र आदि के बारे में दी जायेगी जानकारी

बैंक कर्मचारियों के वेतन में होगी सालाना 17 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। नवंबर, 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब आठ लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच 17 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति बनी। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सालाना 8,284 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बीच, आल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन ने कहा कि महीने के सभी शनिवार को छुट्टियों के रूप में मंजूरी देने पर भी सहमति जताई गई है। हालांकि कामकाज के घंटों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा। नए वेतन समझौते के तहत सभी महिला कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र दिए बगैर हर महीने एक दिन की बीमारी की छुट्टी लेने की अनुमति होगी।

चालू सीजन में सरकार का 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, सरकार ने 2024-25 के रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान तीन से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में 11.4-11.5 करोड़ टन रिकार्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन इसके बावजूद गेहूं खरीद का लक्ष्य बहुत कम तय किया गया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार- विमर्श के बाद लक्ष्य तय किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, विचार-विमर्श के बाद, आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद का अनुमान 3.0-3.2 करोड़ टन के बीच तय किया गया। गेहूं के अलावा मंत्रालय ने रबी सीजन के लिए चावल के मामले में धान खरीद का लक्ष्य 10 लाख टन से एक करोड़ टन के बीच तय किया है।

11.20 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान

सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमान में चालू फसल वर्ष 2023-24 के दौरान गेहूं उत्पादन 11.20 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह फसल वर्ष 2022-23 के उत्पादन अनुमान 11.05 करोड़ टन से 14.6 लाख टन ज्यादा है। गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है और अगले महीने से कई राज्यों में कटाई व बिकी के लिए तैयार हो जाएगी।

सरकार ने रबी मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) के लिए छह लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। बैठक में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। 2023-24 सीजन में सरकार ने 3.415 करोड़ टन लक्ष्य के मुकाबले 2.62 करोड़ टन गेहूं की खरीद की। 2022-23 में खरीद का लक्ष्य 4.44 करोड़ टन तय किया गया था, लेकिन उत्पादन कम रहने से खरीद 1.88 करोड़ टन ही हो पाई थी।

राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य के 63.6 % पर पहुंचा

नई दिल्ली, चालू वित्त वर्ष में जनवरी के अंत तक सरकार का राजकोषीय घाटा 11 लाख करोड़ रुपये के साथ संशोधित वार्षिक लक्ष्य के 63.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष समान अवधि में 67.8 प्रतिशत था। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त ा वर्ष में जनवरी तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22.52 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो समूचे वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान का 81.7 प्रतिशत है। कुल प्राप्तियों में 18.8 लाख करोड़ रुपये कर राजस्व (शुद्ध), 3.38 लाख करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 34,219 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में थीं।

नवाचार ; सहकारी समितियों पर मिलेंगी कॉमन सर्विस सेंटर व बैंक से जुड़ी सुविधाएं

जिले की 298 सहकारी समितियां जुड़ेंगी पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना से

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में अब सहकारी समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर व बैंक से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेगी। सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत राज्य की 5500 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कंप्यूटरीकृत होंगी। इसमें जोधपुर की 298 समितियां हैं। केंद्र एवं नाबार्ड के सहयोग से पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत जिले की 298 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की तैयारी तेज गति से चल रही है। कंप्यूटर व अन्य उपकरण खरीदने के लिए प्रत्येक समिति पर लगभग साढ़े तीन लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र व राज्य सरकार का 60- 40 का शेयर होगा। अभी तक इन समितियों में किसानों को फसली लोन देने, जमा करवाने और खाद-बीज वितरण करने का ही काम होता था। सरकार ने ग्राम स्तर की इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिए इनको ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। को-ऑपरेटिव बैंक जोधपुर के एमडी सुरेन्द्रसिह ने बताया कि योजना के तहत चयनित 298 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से प्रथम चरण की 219 व द्वितिय चरण में 79 समितियों में सीएससी आईडी सृजित कर दी गई है। इनमें कॉमन सर्विस सेंटर आईडी सक्रिय करने व डाटा अपलोडेड डीसीटी लेवल का कार्य तेजी से चल रहा है। कई समितियां ईआरपी ट्रायल रन की स्थिति में है। करीब 50 समितियों में नियमित कर्मचारी नहीं होने के कारण सीएससी आईडी नहीं बन पाई है। इनमें नियमित कर्मचारी नियुक्त होते ही सीएससी आईडी बनाकर सक्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी सहकारी समितियां कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी। डिजिटल करने की तैयारी के साथ ही सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य करने के लिए व्यवस्थापकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद काम में भी पारदर्शिता आएगी।

ये होंगे काम

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किए जाने के बाद ग्रामीणों को ऑनलाइन काम करवाने की सुविधा मिलेगी। कंप्यूटरीकृत होने के बाद इन समितियों में आधार अपडेशन, ऑनलाइन जमाबंदी, पेनकार्ड, किसान समान निधि की ई-केवाईसी, रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे। इसके साथ ही बिजली-पानी के बिल जमा करवाने, फोन रिचार्ज, लॉकर, बचत खाते खोलने, रुपए जमा करवाने सहित अन्य कई काम हो पाएंगे। अब ग्राम सेवा सहकारी समितियां बैंक बीसी, बिजनेस एवं पर्सनल लोन, चेक कलेक्शन सर्विस, फसल बीमा, पेंशन योजना, कृषि उपज खरीदने, कैटल फीड, एग्रो सर्विस सेंटर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर सकेंगे।एग्री क्लिनिक, फार्म मशीनरी एंड एग्री एक्यूपमेंट सेलट, एग्री एंड होर्टीकल्चर, एग्रो ई-सर्विस, एग्रो सर्विस सेंटर, दूध डेयरी, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लैब, कृषक प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के कार्यों की सूची जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के पास भिजवाई गई है। बैंक प्रशासन की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण लेने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए ग्रामीणों और किसानों से संबंधित अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

देख सकेंगे आय-व्यय

पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में सॉफ्टवेयर पार्ट्स का जिम्मा केंद्र सरकार एवं नाबार्ड का है। कंप्यूटराइजेशन के बाद रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में होने वाली गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा। आय-व्यय संबंधी सभी ब्यौरा बैंक प्रशासन भी कभी भी देख सकेगा।

इनका कहना है

जिले की दो चरणों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन योजना से जोड़ा जाएगा। इससे समितियों के काम में पारदर्शिता आएगी। इससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

– सुरेन्द्रसिह, एमडी जोधपुर को-ऑपरेटिव बैंक

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।